हरियाणा सरकार

जेल विभाग हरियाणा

की

वर्ष 2012—13

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

42

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPARTMENT FOR THE YEAR 2012-13.

In the year 2012-13 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails Department : -

1.	Central Jails Ambala and Hisar	02
2.	District Jails Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonepat, Rewari, Kaithal, Yamunanagar, Faridabad, Narnaul, Palwal, Panipat and Jhajjar	16
3.	Borstal Institute and Juvenile Jail, Hisar	01
4.	Jail Training School, Karnal	01
5.	Office of the District Probation Officers Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani, and Sirsa.	08
	TOTAL	28

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lockups of the state as on 01.04.2012 were 14,984. During the year, 59,553 prisoners were admitted in the jails at different point of time. At the end of the year 16,933 prisoners were lodged in all the jails in Haryana.

3. The number of convicts in Judicial Lockups were 6,382 as on 01.04.2012. During the year 4,363 more prisoners who were convicted either by the courts in Haryana or came on transfer from other places were admitted in jails in Haryana. During the year 4,115 convicts were released from jails and 6,630 convicts remain lodged in jails at the end of the year. This is 3.8% of increase in convicts during the year. The number of High Security Class convicts lodged in Jails as on 01.04.2012 were 16. During the year 8 High Security Class convicts were admitted and 12 such convicts were released. Thus at 12 High Security Class convicts remain lodged in all jails as on 31-3-2013. The number of persons imprisoned in default of payment of fine was 30 as on 01-04-12. During the year, 64 more such convicts were admitted and 74 were released. Thus 20 convicts on account of default in payment of fine remained lodged at the end of the year.

4. The number of undertrial prisoners as on 01.04.2012 was 8,602 During the year, 54,713 more undertrial prisoners were admitted in Jails. Out of total 63,315 undertrial prisoners, 53,012 were released on bail. A total of 10,303 undertrial prisoners remained lodged in jails at the end of the year. This is 19.8% of increase in under trial prisoners during the year. 55 prisoners died in custody during the year. The undertrial prisoners had to stay in jails of Haryana on an average of 57 days.

5. Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.04.2012 was 621. During the year, 1,950 more women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails). Out of them 1,818 women prisoners were either released or transferred to other Jails. Therefore, number of women prisoners in all the jails at the end of the year was 753. This is 21.26% increase in women prisoenrs during the years. 69 children dependent on the women prisoners in all the jails was also lodged in jails along with them as on 01.04.2012. During the year, 2 children were born in the jail and 179 others came to Jail with women prisoners. 158 children were sent back from jails with the women prisoners. Thus, at the end of the year, 92 children remained admitted alongwith women prisoners in all the jails in Haryana.

6. During the year 2012-13 a sum of Rs. 97,36,53,663/- were spent on the protection, diet etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 57,500/- (Rs. 157.53 per prisoner per day). During the previous year a sum of Rs. 82,98,57,000/- were spent on the protection, diet etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 55,382/- (Rs. 151.73 per prisoner per day).

7. During the year 2012-13, health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation facilities inside the of Jails. T.B. patients were isolated and admitted in special wards. They were given suitable medical treatment. In order to improve the general sanitation, flush latrines with under ground sewerage system were provided for the prisoners in all the jails of Haryana. Fans were provided in the barracks for the prisoners.

During the year under report, the standard of discipline in the jails was satisfactory. The details of incidents of indiscipline which came to notice are as under: -

a)	Quarrels/Brawls	During the year 2012-13, there was no quarrel/brawl in Jails of the state.
b)	Hunger Strike	During the year 2012-13, no prisoner resorted to hunger strike.
c)	Escape	During the year 2012-13, Two prisoners escaped from the Jails of Haryana.
d)	Attack	During the year 2012-13, there was no case of attack by the prisoners.
e)	Offences	During the year 2012-13, the total number of Jail offences committed by the prisoners were 253, the details of which are as under:

	2011-12	2012-13
Total number of offences committed by the prisoners for which they were sent to courts for appraisal.		
1- Major Offences	79	124
2. Minor Offences	28	129
Total	**107**	**253**

81 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely and 3,528 prisoners were released on parole/ furlough during the period under report. The prisoners are kept in the jails nearest to their home as far as possible. The prisoners whose conduct in jails was adjudged good and who were otherwise eligible as per Jail Mannual were awarded special remission as per the rules.

8. For mental and physical development of the prisoners, arrangements for lectures for spiritual and physical well being of the prisoner were made. Arrangements for morning and evening prayers, prisoner meetings, radio programmes, indoor and outdoor games and practices of yoga had also been made. 1,476 lectures, 48 dramas and 177 cultural programmes were organized in the jails during the year under report. For the recreation of prisoners, television sets with cable connection have also been provided in Jails.

9. The details of production in the factories in jails are given in table below:-

Sr. No.	Name of Jails	2011-12	2012-13
1.	C.J. Ambala	17,19,253	7,12,716
2.	C.J. Hisar	7,13,439	7,03,430
3.	B.I.J. Hisar	-	44,236
4.	D.J. Rohtak	12,12,209	1,76,867
5.	D.J. Karnal	12,15,012	11,36,915
6.	D.J. Narnaul	43,214	1,08,920
7.	D.J. Bhiwani	1,98,592	74,844
8.	D.J. Gurgaon	2,47,955	37,369
9.	D.J. Faridabad	59,815	60,522
10.	D.J. Yamunanagar	73,075	4,82,963
11.	D.J. Kurukshetra	-	[illegible]
	Total:	54,82,564	3[illegible]96

10. During the year 2012-13, 116 officers were impa[illegible] training in various other Institutions.

11. The prisoners were provided the facilities for purchasing commodities at reasonable rates for their personal use such as sugar, tea, gur, ghee, soap, oil etc. from the canteen opened in the Jails. These canteens have been opened in all the Central Jails/ District Jails and the Borstal Institution and are run as per Jail Canteen Management Rules 1965.

12. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distribution of ration and other goods. The prisoners were given training in industries and agricultural practices according to their choice by arranging training programme from time to time.

(P.K. Gupta)
Additional Chief Secretary to GovtHaryana
Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.03.2013 there was a provision for accommodation of 16,647 prisoners in Haryana, where as the number of prisoners at the end the year 2012-2013 was 16,933. During this year the position of accommodation capacity as compared to the number of inmates was highly satisfactory. At present authorized accommodation of prison inmates is 16,647 which is sufficient to accommodate present prison population. However there are some jails which are overcrowded and some jails have spare capacity.

2. In the year 2012-13, 2 prisoners escaped from the Jails of Haryana. There was no case of any brawl in jails of the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack by the prisoners during the year.

3. In the year 2012-13 goods worth Rs. 35,45,296 were produced in the industries being run in the jails as against production of Rs. 54,82,564 during the year 2011-12. In the year 2012-13, 81 life term prisoners were released prematurerly. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 3,528 prisoners were released on parole/ furlough.

(P.K. Gupta)
Additional Chief Secretary to GovtHaryana
Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2012–13 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2012–13 में निम्नलिखित संस्थायें जेल विभाग के अधीन कार्यरत रही :–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला एवं हिसार	02
2.	जिला जेल रोहतक, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर	16
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	01
4.	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
5.	जिला परिवीक्षा अधिकारी सिरसा, भिवानी, करनाल, गुड़गांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08
	कुल	28

2. राज्य की सभी जेलों तथा ज्यूडिशियल लोकअप में सभी श्रेणियों के बन्दियों की संख्या 01.04.2012 को 14,984 रही। वर्ष के दौरान 59,553 बन्दी विभिन्न समय पर जेलों में दाखिल हुए। वर्ष के अन्त में हरियाणा राज्य की जेलों में 16,933 बन्दी शेष रहे गये।

3. सिद्व दोषियों की संख्या 01.04.2012 को 6,382 थी। वर्ष भर में 4,363 सिद्धदोषी न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। वर्ष के दौरान 4,115 बन्दी जेलों से छोड़े गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल 6,630 सिद्व द्वोषी जेलों में रह गये। इस वर्ष 3.8 प्रतिशत बन्दियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दिनांक 01.04.2012 को उच्च श्रेणी के दोषियों की संख्या 16 रही तथा वर्ष के दौरान 8 बन्दी और दाखिल हुए और इनमें से 12 छोड़े गये।

वर्ष 2012–2013 के अन्त में 12 बन्दी शेष रहे गये । राज्य की जेलों में जुर्माना देने के तहत कैद हुये दोषियों की संख्या 01.04.2012 को 30 थी और वर्ष के दौरान जेलों में 64 बन्दी और दाखिल हुए और इनमें से 74 छोड़े गये। वर्ष के अन्त में जुर्माना न देने के तहत वाले 20 बन्दी जेलों में शेष रह गये।

4. विचाराधीन बन्दियों की संख्या 01.04.2012 को 8,602 थी। इस वर्ष जेलों में 54,713 विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये । कुल 63,315 विचाराधीन बन्दियों में से 53,012 विचाराधीन बन्दी बेल पर रिहा किया गया और वर्ष के अन्त में 10,303 विचाराधीन बन्दी जेल में शेष रहे गये । इस वर्ष 19.8 प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों संख्या में बढोतरी हुई । वर्ष के दौरान जेलों में 55 बन्दियों की मृत्यु हुई । विचाराधीन बन्दियों को औसतन 57 दिन जेल मे रहना पड़ा।

5 हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.04.12 को स्त्री बन्दियों की संख्या 621 थी । वर्ष के दौरान 1,950 स्त्री बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे राज्यों की जेलों से बदल कर आये । 1,818 स्त्री बन्दियों को रिहा किया या दूसरे राज्यो की जेलों में भेजा गया इसलिये वर्ष के अन्त में स्त्री बन्दियों की संख्या 753 थी। इस वर्ष 21.26 प्रतिशत महिला बन्दियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई । दिनांक 01.04.2012 को जेलों में स्त्री बन्दियों के साथ 69 बच्चे थे और वर्षभर में जेलों में 02 बच्चे पैदा हुये, और 179 अन्य बच्चे स्त्री बन्दियों के साथ जेलों में आये और 158 बच्चों को स्त्री बन्दियों के साथ जेल से छोड़े गये। वर्ष के अन्त में कुल 92 बच्चे स्त्री बन्दियों के साथ रह गये।

6. बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर वर्ष 2012–13 में 97,36,53,663/– रूपये खर्च किये गये । इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 57,500/– रूपये हुआ (157 रूप्ये 53 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)। बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष 2011–12 में 82,98,57,000/– रूपये खर्च किये गये । इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 55,382/– रूपये हुआ (151 रूप्ये 73 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)।

7. बन्दियों का स्वास्थ्य 2012–13 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई व शौचालय सुविधायें प्रदान की गई, तपेदिक रोगियों को अलग व स्पेशल वार्ड में रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया । जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतू बन्दियों के लिये भूमिगत सीवरेज तथा शौचालयों का प्रबन्ध किया गया । बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटायें गये व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। बन्दियों की बैरकों में बिजली के पंखे लगाये हुऐ हैं। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा । बन्दियों की अनुशासनहीनता का ब्यौरा, निम्न प्रकार से है :—

क)	झगड़े के मामले	—	वर्ष 2012–13 भर में राज्य की सभी जेलों पर कोई भी उपद्रव नहीं हुआ।
ख)	भूख हड़ताल	—	वर्ष 2012–13 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग)	फरारी	—	वर्ष 2012–13 में हरियाणा की जेलों से 2 बन्दी फरार हुये।
घ)	आक्रमण	—	वर्ष 2012–13 में बन्दियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।
ङ)	अपराध	—	वर्ष 2012–13 में बन्दियों द्वारा 253 जेल अपराध किये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

		2011–12	2012–13
1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को अदालत में अपैजल के लिये भेजा गया ।	107	253
2.	कठोर अपराध	79	124
3.	लघु अपराध	28	129
	कुल अपराध	107	253

81 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3,528 बन्दियों को इस वर्ष के दौरान पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया। जहां तक संभव हो सका बन्दियों को उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता हैं। जिन बन्दियों ने अच्छा कार्य किया तथा जो बन्दी जेल मैनुअल के अनुसार माफी के पात्र थे उन्हें विशेष माफी नियमानुसार दी गई ।

8. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये आध्यामिक और शारीरिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सायं काल प्रार्थना सभाओं, बन्दी सभाओं, रेडियो, खेलों के अतिरिक्त योगाभ्यास का प्रबन्ध भी किया गया। इस वर्ष 1,476 व्याख्यान, 48 ड्रामें और 177 सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किये गये। बन्दियों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में टेलीविजन केबल सहित सैट भी लगाये हुयें हैं।

9. जेलों में तैयार किये गये माल के मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्रम संख्या	जेल का नाम	वर्ष 2011–12 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2012–13 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	17,19,253	7,12,716
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	7,13,439	7,03,430
3.	बच्चा जेल हिसार	-	44,236
4.	जिला जेल रोहतक	12,12,209	1,76,867
5.	जिला जेल करनाल	12,15,012	11,36,915
6.	जिला जेल, नारनौल	43,214	1,08,920
7.	जिला जेल भिवानी	1,98,592	74,844
8.	जिला जेल गुडगांव	2,47,955	37,369
9	जिला जेल फरीदाबाद	59,815	60,522
10	जिला जेल यमुनानगर	73,075	4,82,963
11	जिला जेल कुरूक्षेत्र	-	6,514
	कुल जोड़	54,82,564	35,45,296

10. वर्ष 2012–13 मे 116 अधिकारियों को अलग–अलग अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया गया।

11. बन्दियों को उचित मूल्य पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, गुड़, घी, साबुन, तेल इत्यादि की खरीद की सुविधा दी गई है । ये कैन्टीन सभी केन्द्रीय कारागारों, जिला कारागारों, बोस्टल संस्था तथा बच्चा जेल में हैं और यह कैण्टीनें जेल कैण्टीन मैनेजमैन्ट, नियम 1965 के तहत चल रही हैं ।

12. भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दियों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दिया। समय–2 पर बन्दियों को उनकी रूचि के अनुसार उद्योग तथा आधुनिक कृषि के ढगों का प्रशिक्षण दिया गया ।

(पी0के0, गुप्ता)
अतिरिक्तमुख्य सचिव, जेल विभाग,
हरियाणा।

समालोचना

वर्ष के अन्त में 31–03–2013 तक हरियाणा में 16,647 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि वर्ष के अन्त में बन्दियों की संख्या 16,933 थी। इस वर्ष जेल में अधिकृत क्षमता, बन्दियों की संख्या को मध्यनजर काफी संतोषजनक थी। वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता 16,647 की है जोकि वर्तमान में बन्दियों की गिनती अनुसार प्रर्याप्त है । परन्तु कई जेलों में बन्दियों की संख्या अधिकृत संख्या से ज्यादा है तथा कुछ में कम है ।

2. वर्ष 2012–13 में जेलों से 2 बन्दी फरार हुये। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में कोई झगड़े का मामला नहीं हुआ। वर्ष भर बन्दियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल भी नही की।

3. वर्ष 2012–13 में रूपये 35,45,296 के मूल्य का माल जेलों की उद्योगशालाओं मे तैयार किया गया जबकि वर्ष 2011–12 में 54,82,564/– रूपये का माल तैयार हुआ था। वर्ष 2012–13 के दौरान, 81 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तों को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 3,528 बन्दियों को पैरोल/ फर्लो पर छोड़ा गया।

(पी0के0, गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जेल विभाग, हरियाणा।

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ
1	अंग्रेजी भाषा में विभाग की समीक्षा	ii-v
2.	हिन्दी भाषा में विभाग की समीक्षा	vii-x
3	अध्याय–1 (प्रस्तावना, संस्थायें, नई जेल निर्माणाधीन, बन्दियों में अनुशासन व उनका आचरण, सुधार तथा सुविधायें, पैरोल/फर्लो, समयपूर्व रिहाई, हरियाणा कारागार का सुधार, बन्दियों की बदली, विडियो कान्फ्रेसिंग, कैण्टीन, बन्दी पंचायतें, छूट, पंखे, नल, गन्दे पानी का निकास, फलश टाईप शौचालय, बन्दियों का मनोरंजन, भौतिक तथा नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध, वार्डर गार्द, जेल निरीक्षण एवं चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे)	1–7
4	अध्याय–2 (उघोग, उत्पादन, ब्रिकी, ब्रिकी का ब्यौरा, वसूली का ब्यौरा, कृषि फार्म एवं कपड़ा	8–12
5	अध्याय–3 (जेल टेनिंग स्कूल करनाल, स्त्रियों के लिये कारागार, छोटे बच्चों का विवरण, बोस्टल संस्था एवं बच्चा जेल हिसार, शारीरिक ट्रैनिंग तथा नैतिक ट्रैनिंग, मनोरंजन, भवन तथा स्थान)	13–16
6	अध्याय – 4 (बन्दी संख्या, बन्दियों का प्रवेश तथा निकास, उच्च सुरक्षा श्रेणी के दोषी, नजरबंद, जुर्माने के बदले में दोषी, बच्चे, धर्म, आयु तथा व्यवसाय, दण्ड की अवधि , अभयस्थ कैदी, विचाराधीन बन्दी, दिवानी बन्दी, सुरक्षा तथा बन्दियों की देखभाल, बन्दियों का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना)	17–21
7	अध्याय–5 (उद्धार प्रभार, विभाग का कार्यकम, भाग–1, भाग–11 परिवीक्षा अधिनियम 1958 सामान्य/बन्दियों के हित के निम्न कार्यों के लिये कदम उठाये गये	22–26
		27
8	सारणी 1	28
9	सारणी 2	29
10	बन्दियों की संख्या का विवरण	

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2012–13 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–1

1. प्रस्तावना :–

जेल विभाग का 1.4.2012 से 31.3.2013 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा:–

1. श्री राकेश मलिक, आई0पी0एस0
   1.4.2012 से 31.1.2013 तक
2. श्री यश पाल सिंगल, आई0पी0एस0
   1.2.2013 से 18.2.2013
3. श्री शरद कुमार, आई0पी0एस0
   18.2.2013 से 31.3.2013

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की :–

1. डा0 के0पी0 सिंह, आई0पी0एस
   अपर महानिरीक्षक कारागार हरियाणा ।
2. श्री जगजीत सिंह, अपर महानिरीक्षक
3. श्री हरीश कुमार,
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी ।
4. श्री आर0पी0 झागडा,
   मुख्य लेखा अधिकारी ।
5. श्री जे0एस0 गिल,
   सहायक जिला न्यायवादी ।
6. श्री ब्रिज बिहारी, कार्यालय अधीक्षक
7. श्री दौलत राम, कार्यालय अधीक्षक
8. श्री लखबीर बराड,
   उप अधीक्षक, जेल हैडक्वार्टर
9. श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी

संस्थायें :–

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं :–		
केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार		02
जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर ।	☞	16
बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	☞	01
जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	☞	01
जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुड़गांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	☞	08
कुल जोड़		28

नई जेलों निर्माणाधीन

जेल में बन्दियों की भीड़ को देखते हुये रोहतक जेल का निर्माण किया गया । रिवाड़ी, पानीपत एवं मेवात में नई जेलें बनने हेतू जमीन उपलब्ध है । फतेहाबाद, पंचकूला एवं पलवल में जेल बनाने हेतू जमीन अभिग्रहण का मामला चल रहा है । दिनांक 15.4.2012 को रोहतक के गांव सुनारिया में एक जेल का आरम्भ किया गया है जिसके उपरान्त अधिकृत क्षमता बढ़ गई ।

3. बन्दियों में अनुशासन व उनका आचरण :–

कुल मिलाकर बन्दियों में अनुशासन का स्तर संतोषजनक रहा। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है :–

क)	उपद्रव	–	वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर कोई उपद्रव नहीं हुआ।
ख)	भूख हड़ताल	–	वर्ष 2012–13 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग)	फरारी	–	वर्ष 2012–13 में हरियाणा की जेलों से 2 बन्दी फरार हुये।
घ)	आक्रमण	–	वर्ष 2012–13 में बन्दियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।
ङ)	अपराध	–	वर्ष 2012–13 में अपराधों की कुल संख्या 253 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

		2011–12	2012–13
1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को अदालत में अपेजल के लिये भेजा गया ।	107	253
2.	कठोर अपराध	79	124
3.	लघु अपराध	28	129
	कुल अपराध	107	253

4. सुधार तथा सुविधायें :–

वर्ष 2012–13 में जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही । बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

क. पैरोल/फरलो :–

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देरी न हो तथा कष्ट न उठाना पड़े, इस प्रणाली में बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। पैरोल/फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई थी । दिनांक 1.10.2012 को पैरोल एक्ट में संशोधन किया गया ।

ख. समय पूर्व रिहाई :–

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे नीति को अपने यादी क्रमांक 46/23/2000–4जेजे–।। दिनांक 12.04.02 द्वारा संशोधित किया था। इस नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा जेल में 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था । जिन बन्दियों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सज़ा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करूणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा जेल में 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था । हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.4.2002 को अपने यादी कमांक 36/135/91–1जेजे–।। दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार बनाम जगदीश की रिट पैटीशन में पारित आदेश 22.3.2010 जोकि क्रिमिनल अपील नम्बर 566 आफ 2010 (Arising out of SLP) Crl. Mic. No. 6638 of 2009 में पारित को ध्यान में रखते हुये बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के केसिज का निर्णय लेने हेतू उनकी सजा की तिथि के समय से जो पालिसी लागू होती है, उस बन्दी का समयपूर्व रिहाई केस उस पालिसी के अनुसार निर्णय लिया जाए के आदेश पारित किये गये थे । यथानुसार वर्ष 2012–13 में 81 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण को देखते हुये सरकार की सम्बन्धित पालिसी अनुसार समय पूर्व रिहा किया गया ।

ग. हरियाणा कारागार का सुधार

जनहित याचिका संख्या 15041/07 में माननीय मुख्य न्यायाधीश टी0एस0 ठाकुर तथा माननीय न्यायाधीश जसबीर सिंह द्वारा पारित आदेशों के मध्यनजर हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 9.10.2009 के अन्तर्गत जेलों में सुधार सम्बन्धी सुझाव देने हेतू तीन सदस्यों की कमेटी माननीय जस्टिस जे0एस0 शेखों (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित की गई । उक्त कमेटी ने अपनी रिर्पोट दिसम्बर 2010 में राज्य सरकार को सौंपी । उक्त रिफार्मस कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों को लागू करने हेतू सरकार ने महानिदेशक कारागार/एल0आर0/सयुंक्त सचिव गृह की एक कमेटी गठित कर दी है । जिसको लागू करने हेतू आवश्यक कदम उठाये जा रहे है ।

घ. बन्दियों की बदली :–

कई बन्दियों के रिश्तेदारों तथा मित्रों को मुलाकात करने में वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब बन्दियों को जहां तक सम्भव हो उनके घर के नज़दीक की जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके परिवार वाले तथा मित्रों को बन्दियो से मिलने में कठिनाई ना हो।

ड. विडियों कांन्फेसिंग

19 जेलों के साथ विभिन्न न्यायालयों के साथ विडियो कान्फैसिंग सुविधा चल रही है वर्ष 2012–13 (1.4.2012 से 31.03.2013) तक 31,098 बन्दियों की पेशी विडियो कान्फैसिंग द्वारा करवाई गई है । तिहाड़ जेल की तर्ज पर जेल रिर्फामस कमेटी की सिफारिशें अनुसार दिनांक 15.1.2011 से बन्दियों के रिश्तेदारों जोकि राज्य की अन्य जेल में बन्द है, की मुलाकात आपस में विडियो कान्फैसिंग सुविधा से करने की अनुमति दी जा चुकी है ।

च. कैन्टीन :–

केन्द्रीय जेल अम्बाला/हिसार, जिला जेलों तथा बोस्टल जेल में बन्दियों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, घी, चाय, तेल, साबुन तथा गुड़ आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में अनधिकृत वस्तुओं पर पूरा नियन्त्रण रहा है और यह कैण्टीनें जेल कैण्टीन मैनेजमैन्ट, नियम 1965 के तहत चल रही है ।

छ. बन्दी पंचायतें :–

भिन्न–2 कारागारों में बन्दियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

ज छूट :–

जिन बन्दियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें विशेष छूट दी गई।

झ. पंखे :–

बन्दियों को बैरकों में पखें लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें आराम मिल सके।

ण. नल :–

कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

त. गन्दे पानी का निकास :–

इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी को सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

थ. फ्लश टाईप शौचालय :–

सभी जेलों पर फलश टाईप शौचालयों का प्रबन्ध किया गया है तथा गन्दे पानी का निकास जमीन के अन्दर करने का प्रबध किया गया है।

द. बन्दियों का मनोरंज़न :–

बन्दियों के मनोरज़न के लिए जेलों में रेडियों/टेलिविज़न सैट लगवा दिए गए हैं। जिनसे दूरदर्शन तथा अन्य कार्यकम देखे जा सकते हैं।

भौतिक तथा नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध :–

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न–2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि खेल, सामाजिक नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातः तथा सांय की प्रार्थना सभाएं, रेडियों प्रोग्राम इत्यादि हैं। प्रति दिन टेलिविज़न शौ भी दिखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों और पब्लिक द्वारा 1,476 व्याख्यान, 48 ड्रामें तथा 177 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

6. वार्डर गार्द :–अब केवल वार्डर गार्द का एक ही हैडक्वार्टर केन्द्रीय जेल अम्बाला में है। इस विभाग की स्वीकृति/तैनात/रिक्त की संख्या दिनांक 31.3.2013 को इस प्रकार है :–

पद	स्वीकृत	तैनात	रिक्त
मुख्य वार्डर	255	249	6
वार्डर	2368	1307	1061
मैटरन	48	0	48
महिला वार्डर	138	83	55

कुल मिलाकर वार्डरों में अनुशासन संतोषजनक रहा।

7. जेल निरीक्षण :–

माननीय व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

❖	माननीय मुख्य मंत्री /मंत्रीगण	2
❖	उच्च न्यायालय के न्यायधीश	23
❖	महानिदेशक कारागार/अपर महानिरीक्षक जेल	104
❖	आयुक्त	11
❖	जिला एवं सैशन जज	244
❖	उपायुक्त	21
❖	गैर सरकारी दर्शक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों	381

8. चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे :–

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2012–13 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई।

अध्याय –2

उद्योग

1. वित्त वर्ष 2012–13 में कुल उत्पादन रूपये 35,45,296/– क हुआ एवं वित्त वर्ष 2011–12 में कुल उत्पादन रूपये 54,82,564/– क रहा जो पिछले वित्त वर्ष से 19,37,268/–कम रहा ।

2. अलग–2 जेलों का उत्पादन निम्न सारणी में दर्शाया गया है:–

क्रम संख्या	जेल का नाम	वर्ष 2011–12 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2012–13 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	17,19,253	7,12,716
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	7,13,439	7,03,430
3.	बच्चा जेल, हिसार	-	44,236
4.	जिला जेल, रोहतक	12,12,209	1,76,867
5.	जिला जेल, करनाल	12,15,012	11,36,915
6.	जिला जेल, नारनौल	43,214	1,08,920
7.	जिला जेल, भिवानी	1,98,592	74,844
8.	जिला जेल, गुडगांव	2,47,955	37,369
9.	जिला जेल, फरीदाबाद	59,815	60,522
10.	जिला जेल, यमुनानगर	73,075	4,82,963
11.	जिला जेल, कुरूक्षेत्र	-	6,514
	कुल जोड़	54,82,564	35,45,296

3. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2012–13 में तथा इससे पू वर्ष 2011–12 तक निम्नलिखित जेलों से बिकी का ब्यौरा :–

क्रम स0	जेलों का नाम	वर्ष 2011–12 में हुई ब्रिकी	वर्ष 2012–13 में हुई ब्रिकी
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	6,50,898	4,68,738
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	1,33,219	7,80,401
3.	बच्चा जेल, हिसार	....	———

4.	जिला जेल, रोहतक	11,42,693	1,75,503
5.	जिला जेल, करनाल	10,44,388	12,08,295
6.	जिला जेल, गुडगांव	...	5,852
7.	जिला जेल, भिवानी	1,28,831	71,587
8.	जिला जेल, नारनौल	10,800	1,08,920
9	जिला जेल, फरीदाबाद	9,843	81,713
10	जिला जेल, यमुनानगर	...	5,28,796
11	जिला जेल, कुरूक्षेत्र	...	6,514
	कुल जोड़	31,20,672	34,36,319

4. जेल विभाग, दूसरे सरकारी विभागों तथा प्राईवेट व्यक्तियों से की गई बिकी का ब्यौराः–

कम स0		वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13
1.	जेल विभाग के लिये की गई बिक्री	31,20,672	12,71,071
2.	दूसरे सरकारी विभागो को की गई बिक्री	13,85,096	20,68,199
3.	प्राईवेट विभागों को की गई बिक्री	2,70,410	97,049
	कुल जोड़	47,76,178	34,36,319

क्रम स0	जेल का नाम	सरकारी विभाग को की गई बिक्री	जेल विभाग को की गई बिक्री	प्राईवेट विभाग को की गई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	2,63,499	1,85,299	19,940
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	2,04,467	5,75,934	-
3.	बच्चा जेल, हिसार	-	-	-
4.	जिला जेल, रोहतक	1,33,160	42,343	-

5.	जिला जेल, करनाल	10,54,980	1,53,405	-
6.	जिला जेल, नारनौल	72,724	36,196	-
7.	जिला जेल, भिवानी	5,355	66,232	-
8.	जिला जेल, गुडगांव	-	5,852	-
9.	जिला जेल, फरीदाबाद	39,220	42,493	-
10.	जिला जेल, यमुनानगर	2,94,994	1,56,802	77,109
11.	जिला जेल, कुरूक्षेत्र	-	6,514	-
	कुल जोड़	20,68,199	12,71,071	97,049

5. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2012–13 तथा इससे पूर्व वर्ष 2011–12 में निम्न जेलों द्वारा वसूली का ब्यौरा:–

कम स0	जेलों का नाम	वर्ष 2011–12 में हुई वसूली	वर्ष 2012–13 में हुई वसूली
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	10,98,779	5,14,947
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	..	7,80,401
3.	बच्चा जेल, हिसार	..	.....
4.	जिला जेल, रोहतक		2,71,359
5.	जिला जेल, करनाल	10,82,091	2,02,593
6.	जिला जेल, गुडगांव		5,852
7.	जिला जेल, भिवानी	13,02,260	1,97,590
8.	जिला जेल, फरीदाबाद	48,968	60,522
9.	जिला जेल, नारनौल	894	1,08,920
10	थजला जेल, कुरूक्षेत्र	-	6,514
	कुल जोड़	35,32,992	21,38,698

जेलों द्वारा जो माल तैयार किया जाता है वह अन्य विभागों को उनकी मांग अनुसार सप्लाई किया जाता है।

6. (कृषि फार्म)

वित्त वर्ष 2012–2013 में जेल कृषि फार्म पर कुल खर्चा रूपये 19,90,329 किया गया तथा कृषि फार्म से कुल उत्पादन रूपये 63,59,372 का हुआ । इस प्रकार कृषि फार्म से वर्ष भर में कुल आय रूपये 43,69,043 हुई । जिस का विवरण निम्नप्रकार से है :–

कम स0	जेल का नाम	फार्म का ऐरिया	कुल खर्चा रूपये में	कुल उत्पादन रूपये में	कुल आय रूपये में
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	14 एकड	1,70,300	3,80,527	2,10,227
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	7 एकड 7 कनाल 9 मरले	44,902	1,53,279	1,08,377
3.	जिला जेल, रोहतक	19 एकड 4 कनाल 2 मरले	7,624	1,07,554	99,930
4.	जिला जेल, करनाल	98 एकड	6,74,120	31,37,176	24,63,056
5.	जिला जेल, भिवानी	61 एकड 5 कनाल	1,58,906	5,46,109	3,87,203
6.	जिला जेल, सोनीपत	16 एकड	3,35,025	4,43,375	1,08,350
7.	जिला जेल, जीन्द	25 एकड	4,06,500	10,69,758	6,63,258
8.	जिला जेल, सिरसा	7 एकड	69,669	2,26,019	1,56,350
9.	जिला जेल पानीपत	47 एकड 6 मरले	1,23,283	2,95,575	1,72,292
	कुल जोड	296 एकड 17 मरले	19,90,329	63,59,372	43,69,043

7. कपड़ा :–

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतू कपड़ा बनाया जा रहा है। बोस्टल जेल हिसार तथा भिवानी जेलों पर हथकरघा से भी कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के झांडन/बस्ते/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे

भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सूचारू रूप से पूरी की जा रही है।

केन्द्रीय जेल, अम्बाला के बन्दियों को तथा बोस्टल जेल, हिसार के बन्दियों को विशेष रूप से स्त्री बन्दियों को जुराबें बुनने की ट्रेनिंग देने हेतू दोनों जेलों पर सोक्स निटिंग मशीनों की स्थापना हो चुकी है। इन बन्दियों को ट्रेनिंग देने के लिए फिलहाल जिला रोज़गार कार्यालय के माध्यम से इन्सट्रक्टर नियुक्त करवाये जा रहे हैं । इससे विभाग के वार्डर गार्द की जुराबों की मांग को पूरा होने के साथ–साथ पुलिस विभाग/गृह रक्षी विभाग तथा हरियाणा राज्य के अन्य विभागों की जुराबों की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सज़ा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह निपुण होकर जेल से बाहर जायेंगें, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगें। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय –3

(विशेष संस्थायें)

1. जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल

करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग तथा राज्यों के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस स्कूल में वार्डर तथा हैड वार्डरों, उप सहायक अधीक्षक के साथ–2 अधीक्षक, उप अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध है। इस संस्था में जेल मैनुअल, कारागार प्रशासन, कानून, क्रिमिनालोजी, साईकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, मिलिट्री ड्रिल, तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग–धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण मे कैदियों में सुधार के साथ–2 अम्यस्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार करने के उपायों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

हरियाणा राज्य के जेल अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, इसलिये उन्हें अन्य संस्थानों पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ।

2. स्त्रियों के लिए कारागार :–

हरियाणा में 1976 में स्त्रियों के लिए अलग कारागार नहीं थी। बंदी स्त्रियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक अलग भाग में रखा जाता था। यह प्रबन्ध पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए हिसार में अलग से भवन निर्माण किया गया और स्त्रियों की अलग देख–भाल के लिए अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मैटरन व महिला प्रहरी भी नियुक्त हैं।

वर्ष 2012–13 में जेल में हुई भर्ती स्त्रियों की संख्या तथा उनकी/रिहाई का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:–

1.4.2012 को स्त्री कैदियों की संख्या	सीधे/बदली द्वारा जेल में आये स्त्री बन्दियों की संख्या	मुक्त किए गए/बदली किए स्त्री बन्दियों की संख्या	31.3.2013 को स्त्री बन्दियों की संख्या
621	1,950	1,818	753

वर्ष 2012–13 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक औसत संख्या 687 थी। बन्दियों के कपड़ों की मुरम्मत के लिए/कुछ और कार्य जैसे सिलाई/कढ़ाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया।

3. <u>छोटे बच्चों का विवरण :–</u>

जो शिशु बन्दी औरतों के साथ जेल में आये उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1.	01.04.2012 को बच्चों की संख्या	69
2.	01.04.2012 से 31.03.2013 तक जेल में पैदा हुए बच्चे	2
3.	01.04.2012 से 31.03.2013 तक भर्ती हुए बच्चों की संख्या	179
4.	छोड़े गए बच्चों की संख्या	158
5.	शेष 31.03.2013 को संख्या	92

	छः मास तक के बच्चों की संख्या	4
	छः मास से एक साल तक के बच्चों की संख्या	17
	एक साल से 3 साल तक के बच्चों की संख्या	29
	3 साल से 5 साल तक के बच्चों की संख्या	24
	5 साल से ऊपर के बच्चों की संख्या	18
	कुल	92

4. <u>बोस्टल संस्था एवं बच्चा जेल हिसार :–</u>

हरियाणा की एक मात्र जेल है, जो कि आधुनिक ढंग की है। इसमें किशोर बन्दियों के लिए खेल–कूद उद्योग सिखाने, स्कूल, हस्पताल आदि का प्रबन्ध है ।

वर्ष 2012–13 में इस संस्था में निम्न किशोर बन्दियों को रखा गया है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

		आई.पी.सी के अधीन सिद्ध दोषी	बोस्टल एक्ट के अधीन कैदी
1.	वर्ष के शुरू में संख्या	2	.....
2.	कितने वर्ष भर में दाखिल हुए	13	
	जोड़	15	
1.	जिनकी बदली दूसरी जेलों की गई	.	
2.	अपील पर रिहाई	.	
3.	सरकार के आदेश अनुसार रिहाई	.	
4.	जमानत पर रिहाई	3	
5.	कैद की समाप्ति पर रिहाई	1	
6.	भगौड़े कैदियों की संख्या	.	
7.	कैद से छूट आदि मिलने पर रिहाई		
8.	मरे हुए कैदियों की संख्या		
9.	अन्य कारणों से	.	
	जोड़	4	
	वर्ष के अन्त में शेष कैदी	11	

इस संस्था में ऐसे किशोर बन्दियों को जिनको न्यायालय से सज़ा मिलती है और उनकी आयु 21 वर्ष से कम होती है, रखने का प्रबन्ध है। इस प्रकार इस संस्था का उद्देश्य किशोर बन्दियों के पूर्व जीवन और आचरण के कारणों का पता लगाना है। साथ ही उनको सभ्य नागरिक और कानून का आदर करने वाले शहरी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए उनके मानसिक सुधार, उद्योग तथा कामकाज़ की ट्रेनिंग, आधुनिक खेती–बाड़ी के ढंग सिखाने का प्रबन्ध किया जाता है। इन नौजवानों को नशीली चीजों से दूर रखने तथा पढ़ाई लिखाई आदि का महत्व भी सिखाया जाता है। इससे उनके सुधार और रिहाई के बाद अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी जीविका कमाने में सहायता मिलती है । इस संस्था में प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई में बैठने का प्रबन्ध किया जाता है।

5. <u>शारीरिक ट्रेनिंग तथा नैतिक ट्रेनिंग :–</u>

दूसरे कार्यक्रमों के साथ–2 किशोर बन्दियों की शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा की ओर भी ध्यान रखा जाता है । उन्हें ड्रिल, जिमनास्टिक तथा यौगिक अभ्यास प्रशिक्षण ड्रिल प्रक्षिकों द्वारा करवाया जाता है। साथ ही बासकेट बाल, कबड्डी आदि क्रीडाओं का भी प्रबन्ध है। बन्दियों को स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा और आग बुझाने का काम भी सिखाया जाता है। इस प्रकार नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, अहिंसा, परिश्रम, परस्पर सहयोग, आदि विषयों पर स्टाफ तथा दूसरे पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्याखानों का प्रबन्ध किया जाता है।

6. <u>मनोरंज़न :–</u>

किशोर बन्दियों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंगा–रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए टी0 वी0 का प्रबन्ध है। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा

द्वारा चलचित्र और ड्रामे भी दिखाये जाते हैं। इससे उनके दैनिक विषयों पर ज्ञान बढता है।

7. भवन तथा स्थान :–

इस समय हरियाणा में निम्नलिखित जेलें हैं:–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर, पलवल, पानीपत, फरीदाबाद एवं झज्जर	16
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	01
	कुल जोड़	19

अध्याय–4

1. बंदी संख्या :–

हरियाणा की जेलों में कैदियों की संख्या 01.04.2012 को 14,984 थी और यह संख्या 31.03.2013 को 16,933 हो गई।

2. बन्दियों का प्रवेश तथा निकास

क. सिद्धदोषियों की संख्या 1.4.2012 को 6,382 थी। वर्ष भर 6,382 सिद्धदोषियों को न्यायालयों से सज़ा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में आयें और 4,115 बन्दियों की रिहाई के बाद 31.3.2013 को कुल 6,630 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख सिद्धदोषियों की औसत दैनिक संख्या 1.4.2012 से 31.3.2013 तक 6,506 थी। सभी प्रकार के बन्दियों की अधिकतम संख्या 18,350 थी।

ग. उच्च सुरक्षा श्रेणी के दोषी :–

उच्च सुरक्षा श्रेणी के दोषियों के प्रवेश तथा भुगतान का विवरण इस प्रकार है :–

1.4.2012 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए	31.3.2013 को शेष
16	8	12	12

घ. नजरबंद :– पूरे वर्ष में कोई दोषी नजरबंद नहीं रहा।

ङ जुर्माने के बदले में दोषी :–

जुर्माने के बदले में कैद हुए दोषियों का विवरण नीचे दिया जाता है :–

1.4.2012 को गणना	वर्ष भर में प्रवेश	वर्ष भर में छोड़े गए	31.3.2013 को शेष
30	64	74	20

च. बच्चे :–

नियमों के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को अपनी माताओं जिन्हें दण्ड के तौर पर जेल में दाखिल किया जाता है, के साथ रह सकते हैं। इनका पालन–पोषण सरकारी खर्चे पर किया जाता है। ऐसे बच्चों का विवरण नीचे दिया जाता है:–

1.4.2012 को गणना	वर्ष भर में दाखिल किए गए	जेल में पैदा हुए बच्चे	छोड़े गए	31.3.2013 को शेष
69	179	2	158	92

धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय :–

वर्ष के अन्त में सिद्व दोषियों का धर्म, आयु, तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :–

तालिका –1

धर्म	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	14	0.22
मुसलमान	414	6.24
हिन्दु तथा सिख	6,177	93.16
बौध तथा जैन	9	0.14
दूसरे अन्य धर्म	16	0.24
जोड़	6,630	100

तालिका–2

अवस्था	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से कम	..	...
18 साल से 21 साल तक	351	5.30
22 साल से 30 साल तक	2,220	33.48
31 साल से 40 साल तक	2,221	33.50
41 साल से 60 साल तक	1,485	22.40
60 साल से उपर	353	5.32
जोड़	6,630	100

4. शिक्षा :–

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
वह जो पढ़ लिख सकते हैं	4,222	63.68
वह केवल जो पढ़ सकते हैं	1,271	19.17
अशिक्षित	1,137	17.15
जोड़	6,630	100

अध्यापकों द्वारा 1,962 कैदियों को प्रोढ़ शिक्षा दी गई। वर्ष भर में विभिन्न जेलों के पुस्तकालयों से 27,200 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई। इन्दिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय द्वारा अम्बाला/ सिरसा/ करनाल/ गुड़गांव, फरीदाबाद की जेलों में बन्दियों को पढ़ने एवं अन्य उच्चतर शिक्षा, 102 के बाद देने के लिये केन्द्र स्थापित किये हुये हैं ताकि रिहाई के बाद बन्दियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें । बन्दी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाया जा रहा साक्षरता मिशन राज्य की 15 जेलों मे चल रहा है जिसमें बन्दियों ने शिक्षा का लाभ उठाया है। एन0आई0ओ0एस0 सैण्टर अम्बाला/हिसार/बच्चा जेल हिसार/करनाल/ फरीदाबाद व गुड़गांव की जेलों में खोलने का कार्य चल रहा है ।

व्यवसायिक शिक्षा प्रोग्राम –वोकेशनल सैंटर फरीदाबाद करनाल गुड़गांव जेल में खुला हुआ है जोकि 12 विभिन्न प्रकार के कोर्सिस जैसे कारपेंटर, बेकरी/ कान्फैक्शरी, वैल्डिंग टैक्नालजी, प्लम्बरिंग, कटिंग, टेलरिंग इत्यादि ।

5. व्यवसाय :–

दिनांक 31.3.2013 को जेल में 6,630 बन्दी कैदियों में से 2, का सम्बन्ध खेती–बाड़ी से था तथा दूसरे शब्दों में इनकी संख्या 41 प्रतिशत थी। शेष बन्दियों का सम्बन्ध अन्य व्यवसायों से था।

6. दण्ड :–

तालिका न0 1

दण्ड का स्वरूप	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
साधारण कैद / कठोर कैद	3,199	48.25
आजीवन कारावास बन्दी	3,431	51.75
जोड़	6,630	100

तालिका न0 2

दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
1 मास तक	200	3.02
1 मास से उपर तथा तीन मास से कम	250	3.78
3 मास से उपर तथा 6 मास से कम	254	3.84
6 मास से उपर तथा 1 वर्ष से कम	316	4.76
1 वर्ष से उपर तथा 2 वर्ष से कम	484	7.30
2 वर्ष से उपर तथा 5 वर्ष से कम	186	2.80
5 वर्ष से उपर तथा 10 वर्ष से कम	1501	22.64
10 वर्ष से उपर तथा आजीवन कारावास	3431	51.74
11 मृत्यु दण्ड	8	0.12
जोड़	6,630	100

7. अभयस्थ कैदी (हैबीच्यूल)

वर्ष के अन्त में 6,630 कैदियों में 259 अभ्यस्थ बंदी थे।

8. विचाराधीन बन्दी :–

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 1.4.2012 को 8,602 थी। वर्ष में 54,713 और विचाराधीन बन्दी प्रवेश हुए। इस वर्ष 53,012 बन्दियों

छोड़ा गया ऐसे बन्दियों की वर्ष के अन्त में संख्या 10,303 थी। विचाराधीन बन्दियों को 57 दिन तक जेल मे रहना पड़ा।

9. दिवानी बन्दी :–

वर्ष 1.4.2012 को 14 दीवान्नी बंदी थे। पूरे वर्ष 133 अतिरिक्त दीवानी बंदी भर्ती होने से कुल संख्या 147 हो गई। वर्ष भर मे 131 दीवानी बंदी रिहा किये गए। वर्ष के अंत में 31.3.3013 को उनकी संख्या 16 थी।

10. सुरक्षा तथा बंदियों की देखभाल :–

बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर वर्ष 2012–13 में 97,36,53,663/– रूपये खर्च किये गये । इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 57,500/– रूपये हुआ (157 रूप्ये 53 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)। बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 में 82,98,57,000/– रूपये खर्च किये गये । इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 55,382/– रूपये हुआ (151 रूप्ये 73 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)।

12. बंदियों का स्वास्थ्य

बंदियों का सामान्य स्वास्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा । बंदियों का स्वास्थ्य स्तर ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिये विशेष प्रयास किये गये जैसे कि डी.डी.टी. के छिड़काव इत्यादि । नहाने के स्थान, शौचालय तथा रसोई घरों के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया।

तपेदिक के बन्दियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में स्पैशल वार्ड में रखा गया और उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया।

13. स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना :–

19,042 बंदी वर्ष भर में अस्पताल में भर्ती किए गए।

मुख्य रोग जैसे हैजा, पेचिस, मलेरिया, तपेदिक, निमोनिया, अनिमिया, हदय रोग के शिकार हुए 868 सिद्धदोषियों को भर्ती किया गया, जिन मे से 2 बन्दियों की मौत हुई।

जिन बन्दियों ने उच्चतम कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक था उन 3,933 बन्दियों को छूट प्रदान की गई। 81 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3,528 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया।

अध्याय न0 5

उद्धार प्रभार :–

सदाचार बन्दियों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम–1958

1. विभाग का कार्यक्रम :–

विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2012–13 में श्री श्री राके मलिक, आई0पी0एस0, श्री यश पाल सिंगल, आई0पी0एस0, श्री शर कुमार, आई0पी0एस0 महानिदेशक कारागार हरियाणा, डा0 के0पी0 सिं आई0पी0एस अपर महानिदेशक कारागार हरियाणा, श्री जगजीत सिंह, अ महानिरीक्षक कारागार से श्री आर0पी0 झांगडा, श्री जे0एस0 गिल, सहाय जिला न्यायवादी श्री ब्रिज बिहारी, कार्यालय अधीक्षक, श्री दौलत रा कार्यालय अधीक्षक, श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी, श्री हरीश कुमा एच0पी0एस0 मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, श्री लखबीर बराड़, उप अधीक्ष आई0टी0 जेल मुख्यालय के पास रहा ।

भाग–I

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम–1958 के अन्तर्गत वर्ष भर में कोई व्यक्ति नही पकड़ा गया।

भाग–।।

परिवीक्षा अधिनियम 1958 :–

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवान को बिना जेल आदि संस्था में रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिका दोषी के घर मामले की पृष्ठभूमि आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायालयों क सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन व्यक्ति की देखभा करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। य अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य क ब्यौरा सारणी न0 1 व 2 में संलग्न है।

सारणी न0 – 1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 303 सामाजिक जां रिपोर्ट न्यायालयों में भेजी। कुल मिलाकर 146 व्यक्तियों को परिवीक्षण लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिला परिवीक्षा अधिकारियों की देख–भाल 31.03.2013 को 67 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इन से पहले छोड़े ग परिवीक्षा अधीन व्यक्ति शामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाक 384 निरीक्षण किए।

सारणी न0– 2

कुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 295 व्यक्तियों ने लाभ उठाया इनमें से कोई भी व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम धारा–3 के अधीन भर्त्सन करके छोडा गया, 57 व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ गया। 216 व्यक्तियों को बिना देखभाल के शर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोड़ गया।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ो तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर विभाग में प्रशासन का कार्य संतोषजनक रहा। बन्दियों द्वारा तथ कर्मचारियों में अनुशासन का स्तर भी संतोषजनक रहा। बन्दियों के सुधा की ओर भी प्रगति हुई।

2. वर्ष 2012–13 में विभिन्न उद्योगों से रूपये 35,45,296/- उत्पादन हुआ।

आकड़ों के मध्यनजर निम्नलिखित सूचना निम्न प्रकार से है :–

क. 18 से 21 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 7.39 प्रतिशत से घटकर 5.30 प्रतिशत हो गई।

ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े–लिखों की संख्या 63.68 प्रतिशत रही।

ग. एक वर्ष या इससे कम अवधि की सज़ा पाने वालों की संख्या 5.86 से घटकर 4.76 प्रतिशत हो गई क्यों कि थोड़ी अवधि वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधि की सजा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

घ. मृत्यु दण्डित आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष तक दण्डित बन्दियों की संख्या 43.84 प्रतिशत से बढ कर 51.74 प्रतिशत हो गई।

ड लगभग 83.86 प्रतिशत विचाराधीन बंदी छोड़े गये । विचाराधीन बन्दियों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लघु अपराध में विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

बन्दियों के हित के निम्न कार्यों के लिये कदम उठाये गये :–

वाकी टाकी सैट – जेलों में सुरक्षा को ध्यान में रहते हुये मास जनवरी 2012 में 200 वाकी टाकी सेट विभिन्न जेलों को आबंटित किये गये ।

बन्दियों को मुशक्कत – बन्दियों को उनकी कार्य कुशल एवं योग्यता कार्य के अनुसार मुशक्कत लगाई जाती है और बन्दियों को मिलने वाली वेजिज को सीधे तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंको में खोले गये उनके खातों में जमा करवा दी जाती है । दिनांक 1.4.2011 से सभी जेलों पर ऐसे केदियों के खातें राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले हुये हैं ।

अधिकृत क्षमता – विभिन्न जेलों में बढती संख्या – वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता 16647 की है जोकि वर्तमान में बन्दियों की गिनती अनुसार प्रर्याप्त है। रोहतक जिले के गांव सुनारिया में एक जेल का निर्माण किया गया है जिसके उपरान्त अधिकृत क्षमता 370 से बढकर 1300 हो गई है ।

जेलों का आधुनिकरण – हरियाणा जेल रिफार्मस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार जेलों पर मोबाईल फोन जैमर लगाने का कार्य विचाराधीन है । भारत सरकार द्वारा जैमर लगाने बारे अनुमति प्राप्त हो गई है एवं जैमर लगवाने हेतू हाट्रोन के माध्यम से हाई पावर परचेस कमेटी की अगली मीटिंग में खरीद हेतू मामला रखने हेतू केस भेजा जा चुका है ।

बन्दियों हेतू दूरभाष सुविधा – जेल रिफार्मस कमेटी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये सरकार से इस सुविधा को लागू क के लिये एक करोड़ रूप्या अलगे वित वर्ष 2013–14 में लागू करने स्वीकृति बारे मामला विचाराधीन है ।

जेलों पर कम्पयूटराईजेशन – सरकार द्वारा जेल रिफार्मस कमे की जरूरी सिफारिशों को लागू करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं कारागार विभाग का आई0टी0 प्लान का कुल 5.28 करोड़ रूपये अनुमो किया जा चुका है एवं प्रथम चरण में 85.23 लाख रूपया कम्पयूटर, अ अतिरिक्त आई0टी0 वस्तुओं की खरीद हेतू स्वीकृत किया जा चुका है 100 कम्पयूटर 19 जेलों व जेल विभाग के दफतरों में वितरित किये चुके है ।

मैडिकल प्रोग्राम – जेल रिफार्मस कमेटी की सिफारिशें को ध्य में रखते हुये जेलों पर खाली मैडिकल आफिसर के पदों को भरने के लि 10 रिटायर्ड डाक्टरों को एक वर्ष के अनुबंध पर रखा गया है और पदों को भरने हेतू कदम उठाये जा रहे हैं।

मैडिकल कैम्प – जेल रिफार्मस कमेटी की सिफारिशो के अनुर राज्य की सभी जेलों में वर्ष भर में 35 मैडिकल कैम्प लगाये गये ।

(यश पाल सिंगल)
महानिदेशक कारागार, हरियाणा।

सारणी–1

परिवीक्षा अपराध अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 के दौरान निरीक्षण में रखे गये परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या

क्र सं0	जिले	प्रारंभिक जांच रिपोर्ट वर्ष 2012–13 के दौरान न्यायालयों को भेजी गये।	वर्ष 2012–13 के शुरू होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको परिवीक्षाधीन रखा गया – राज्य	राज्य से बाहर	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि को समाप्त कर दिया गया	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि ठीक प्रकार समाप्त हुई	जिन्होंने परिवीक्षा नियमों का उल्लंघन किया	दूसरे राज्यों व जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजे गये की संख्या	कुल निकासे	31.03.13के अन्त में परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या	जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया
1	2	3	4	5 क	5 ख	6	7	8	9	10	11	12
1.	अम्बाला	0	18	0	0	11	11	0	0	11	7	0
2.	हिसार	7	7	12	0	0	7	0	0	7	12	0
3.	रोहतक	8	44	44	0	19	19	0	0	19	25	27
4.	करनाल	10	9	9	0	2	2	0	0	2	7	17
5.	सिरसा	0	84	3	0	73	73	0	0	73	11	0
6.	जीन्द	1	2	2	0	2	2	0	0	2	0	2
7.	गुड़गाव	255	7	4	0	9	10	0	0	10	1	338
8.	भिवानी	22	0	0	0	8	15	3	0	22	4	0
	कुल	303	171	74	0	124	139	3	0	146	67	384

सारणी–2

परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई वार्षिक विवरण पत्र 2012–13

कम स0	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि भर्त्सना करके छोडे गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (3) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	0	0	0	6
2.	हिसार	0	44	12	0
3.	रोहतक	0	0	19	56
4.	करनाल	0	0	2	19
5.	सिरसा	0	15	15	2
6.	जीन्द	0	0	2	30
7.	गुडगावं	0	157	4	2
8.	भिवानी	22	0	3	161
	कुल	22	216	57	25
					295

POPULATION STATEMENT OF THE PRISONERS IN THE JAILS OF HARYANA AS ON 31-3-2013

Sr. No	Name Of Jail	Authorised Capacity	Conffined Prisoners				Condemned Prisoners		Civil/Other Prisoners		Foreigners Prisoners		Total Convicts		Foreigner Undertrial Prisoners		Undertrial Prisoners		Total Under Trial Prisoners	Grand Total
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Ambala	1228	228	10	269	11	3	1	0	10	2	C	512	22	1	0	701	49	751	1285
2	C.J. Hisar	1020	378	0	309	0	1	0	1	32	0	0	721	0	0	0	925	0	925	1646
3	B.I. Hisar	355	2	70	2	31	0	0	0	8	0	0	12	101	0	0	102	96	198	311
4	Rohtak	1300	150	16	61	10	1	0	2	7	0	0	221	26	1	0	832	101	934	1181
5	Karnal	2434	499	36	463	18	0	0	2	14	2	0	980	54	1	2	1238	75	1316	2350
6	Gurgaon	2412	433	20	303	3	0	0	1	40	12	0	789	23	20	1	1223	27	1271	2083
7	Bhiwani	561	315	12	150	0	2	0	1	16	1	0	485	12	0	0	552	24	576	1073
8	Sirsa	567	170	0	193	0	0	0	0	5	1	0	369	0	0	0	388	0	388	757
9	Sonepat	363	68	0	60	0	0	0	0	1	14	0	143	0	0	0	695	0	695	838
10	Jind	400	162	0	134	0	0	0	0	10	0	0	306	0	0	0	332	0	332	638
11	Kkr	446	101	0	109	0	0	0	0	6	0	0	216	0	0	0	364	0	364	580
12	Narnaul	299	139	8	107	8	0	0	0	8	0	0	254	16	0	0	333	14	347	617
13	Rewari	30	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	70	0	70	80
14	Kaithal	700	86	3	102	0	0	0	5	0	0	0	193	3	0	0	214	6	220	416
15	Faridabad	2500	262	10	384	13	0	0	1	7	1	2	655	25	10	0	955	38	1003	1683
16	Ymn	1200	129	13	139	13	0	0	0	7	0	0	275	26	0	0	341	15	356	657
17	Palwal	40	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	0	26	27
18	Panipat	35	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	51	0	51	53
19	Jhajjar	1074	109	0	66	0	0	0	2	1	0	0	178	0	0	0	480	0	480	658
	Total	16964	3233	198	2860	107	7	1	17	172	33	2	6322	308	33	3	9822	445	10303	16933

52432—D.G.P.—H.G.P., Chd.